न्यायालय–अपर जिला एवं सत्र/विशेष न्यायाधीश एस.सी./एस. टी. (पी.ए.) एक्ट, सिद्धार्थनगर।

UPSD010018862026

Criminal Misc. Cases/137/2026

धर्मराज पुत्र स्व0 सोढर,
निवासी साकिन–मदनपुर, थाना उसका बाजार, जनपद सिद्वार्थनगर। –– **प्रार्थी/आवेदक**

बनाम

1– चन्द्रभान पुत्र चिनगुद
2– सूर्यभान पुत्र चिनगुद,
3– महती पत्नी चिनगुद
निवासी साकिन–मदनपुर, थाना उसका बाजार,जिला सिद्वार्थनगर।

––विपक्षीगण

धारा–175(3)बी0एन0एस0एस0
थाना–उसका बाजार, जनपद–सिद्धार्थनगर।

दिनॉकः–14–07–2026

निस्तारण प्रार्थना पत्र धारा–175(3) बी0एन0एस0एस0

प्रार्थी धर्मराज की तरफ से प्रार्थनापत्र धारा–175(3) बी0एन0एस0एस0 के तहत इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक धर्मराज स्व0 सोढर, निवासी साकिन–मदनपुर, थाना उसका बाजार, जनपद सिद्वार्थनगर का निवासी है तथा अनुसूचित जति पासी है। आवेदक की लड़की कुसुम दिनॉक 13–4–2026 को समय करीब 6–00 बजे शाम अपनी बकरी चरा रही थी बकरी चरते चरते चिनगुद के खेत में चली गयी, उसके बाद चन्द्रभान, सूर्यभान पुत्रगण चिनगुद, महती पत्नी चिनगुद निवासी साकिन–मदनपुर, थाना उसका बाजार,जिला सिद्वार्थनगर तथा सामान्य जाति के है जो पहले से मोजूद थे आवेदक की लड़की को पकड़कर गाली गुप्ता देते हुए लात मूका से मारने लगे और बॉये पैर में लोहे के राड से बुरी तरह से मारे जिससे आवेदक की लड़की का पैर टूट गया। आवेदक की लड़की कुसुम मन्दबुद्वि की है जब इसकी शिकायत करने आवेदक चन्द्रभान के घर गया तो उपरोक्त लोग आवेदक को भददी भददी गाली देने लग और साले पासीकट की जाति करते हुए कहे कि अभी तुम्हारी लड़की को पैर तोड़े हैं और अगर अब तुम्हारी बकरी मेरे खेत में चरने गयी तो तुमको और तुम्हारी लड़की कुसुम को जान से मार देगे। उक्त घटना को मेरी लड़की सुमन व दुर्गावती पत्नी बबलू तथा गांव के अन्य तमाम लोगों ने देखा और बीच बचाव किया। घटना की सूचना उसी दिन थाना मुकामी पर दिया

परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई और न ही मेरी लड़की का मेडिकल ही करवाया गया। घटना की सूचना जरिए डाक पुलिस अधीक्षक सिद्वार्थनगर को दिया परन्तु आवेदक को कोई न्याय नहीं मिला। अभियुक्तगण द्वारा गम्भीर प्रकृति का अपराध किया गया है जो संज्ञेय प्रकृति का है। आवेदक को अबतक न्याय नहीं मिला। आवेदक के प्रार्थनापत्र पर उपरोक्त घटना की जॉच कराकर अभियुक्तगण के विरूद्व प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना का आदेश दिया जाना न्यायहित में आवश्यक एवं न्यायसंगत है।

अतः निवेदन है कि थाना उसका बाजार, जनपद सिद्वार्थनगर को उपरोक्त मुल्जिमानगण के विरूद्व प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करने का आदेश देने की कृपा करें।

आवेदक की ओर से अपने कथन के समर्थन में शपथपत्र, पुलिस अधीक्ष्ज्ञक सिद्वार्थनगर को दिय गये प्रार्थनापत्र की प्रति, आधार कार्ड, जाति प्रमाणपत्र व एक्सरे रिपोर्ट, एक्सरे प्लेट व चोटहिल की आई चोटों का फोटो दाखिल किया गया है।

थाना उसका बाजार की रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तुत मामले में कोई आपराधिक प्रकरण थाने पर दर्ज नहीं है।

सुना तथा पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के अवलोकन से इस मामले में प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध कारित किया जाना परिलक्षित होता है। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को देखते हुये न्यायहित में पुलिस से विवेचना कराया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 175(3) बी0एन0एस0एस0 स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी धर्मराज का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–175(3) बी0एन0एस0एस0 स्वीकार किया जाता है। थानाध्यक्ष उसका बाजार को आदेशित किया जाता है कि वह प्रार्थना पत्र के प्रकाश में उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर मामले की विधि अनुसार विवेचना कराया जाना सुनिश्चित करें तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति एक सप्ताह के अन्दर न्यायालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

दिनॉकः–14–07–2026

(त्रिभुवन नाथ)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
एस0सी0/एस0टी0 (पी0ए0), एक्ट,
सिद्वार्थनगर।
J.O. Code UP 6450

Digitally signed by Tribhuwan Nath
Date: 2026.07.14 10:52:31 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court